

नियम 42 : इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति

- (1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का, जिन्हें धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागतः उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका भागतः उपयोग कराधेय प्रदायों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर प्रदाय भी हैं, प्रभाव देने के लिए और भागतः छूट प्राप्त प्रदायों को प्रभाव देने के लिए किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित रीति से कारबार के प्रयोजन के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित होगा, अर्थात्,—
- (क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वर्तित कुल इनपुट कर 'टी' के रूप में द्योतक होगा; (ख) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, 'टी₁' के रूप में द्योतक होगी;
- (ग) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, 'टी₂' के रूप में द्योतक होगी;
- (घ) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, 'टी₃' के रूप में द्योतक होगी;
- (ङ.) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'सी' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,—
- $$\text{सी}_1 = \text{टी} - (\text{टी}_1 + \text{टी}_2 + \text{टी}_3);$$
- (च) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी₄' के रूप में द्योतक होगी;
- ¹[स्पष्टीकरण—इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिये एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, T₄ का मूल्य निर्माण के चरण के दौरान शून्य होगा क्योंकि जो अपार्टमेंट, पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तारीख या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, या उसके पहले बुक किये गये हों और जो उक्त तारीख तक बुक न किये गये हो, के निर्माण में इनपुट और इनपुट सेवाओं का प्रयोग एक ही प्रकार का होगा।]
- (छ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, 'टी₁', 'टी₂', 'टी₃' और 'टी₄' का अवधारण और उसकी घोषणा ²[.....] ³[प्रारूप जीएसटीआर-3ख के सारांश स्तर पर] में बीजक स्तर पर की जाएगी;
- (ज) खंड ⁴[(च)] के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो 'सी₂' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,—

¹ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 19/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्दों, अक्षरों और अंक “प्रारूप जीएसटीआर-2 A[और” विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

A. अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

³ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा “(छ)” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

$$\text{सी}_2 = \text{सी}_1 - \text{टी}_4;$$

- (झ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम 'डी₁' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,—

$$\text{डी}_1 = (\text{ई} \div \text{एफ}) \times \text{सी}_2;$$

जहां,

'ई', कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य है, और

'एफ', रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के राज्य में कर अवधि के दौरान कुल आवर्त है :

- ⁵[बशर्ते कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, किसी कर अवधि के लिए "E/F" के मूल्य की गणना निम्नानुसार E और F के मूल्य लेते हुए प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग की जाएगी:-

E = अपार्टमेंट्स का समग्र कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के कर जमा समय कालीन क्षेत्र से मुक्त है, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, के मुद्दे के बाद बेचे जाने वाले प्रमोटर द्वारा पहचान किया गया हो;

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पष्टीकरण 1.—कर अवधि, जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना या प्रोजेक्ट का पहला व्यवसाय होता है, में, E के मूल्य में अपार्टमेंट्स, जो कि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे, जो भी पहले हो, की तारीख तक बुक नहीं किए गए हैं, का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा;

स्पष्टीकरण 2.—अधिसूचना सं. 11/2017—केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का. नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से "E" के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं. 11/2017—केन्द्रीय कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम में सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic), या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।]

- ⁶[बशर्ते और आगे] जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास के पूर्व की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, ऐसी अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्योरे उपलब्ध हैं, "ई" और "एफ" के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी;

Li"Vhdj.k—bl [kaM ds iz;kstuksa ds fy,] ;g Li"V fd;k tkrk gS fd NwV izkIr iznk;ksa dk ladfyr ewY; vkSj dqy vkorZ dks lafo/kku dh lkroha vuqlwph dh सूची 1 की प्रविष्टि

⁵ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा परंतुक स्पष्टीकरण सहित अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा "परन्तु" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

84 ⁷[और प्रविष्टि 92क] और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम में से अपवर्जित किया जाएगा;

- (अ) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए, निर्धारणीय प्रत्यय की रकम को, यदि सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग भागतः कारबार के लिए और भागतः गैर कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, 'डी₂' के रूप में द्योतक होगी और 'सी₂' के पांच प्रतिशत के बराबर होगी;
- (ट) शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयोजनों के लिए और छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न प्रभावित प्रदायों के लिए, किन्तु इसमें शून्य दर प्रदाय सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और 'सी₃' के रूप में द्योतक होगा, जहां,—

$$\text{सी}_3 = \text{सी}_2 - (\text{डी}_1 + \text{डी}_2);$$

⁸(ठ) 'सी₃', 'डी₁' और 'डी₂' राशि की केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से गणना की जाएगी और **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से की जाएगी;

(ड) 'डी₁' और 'डी₂' के योग के बराबर रकम को ⁹[**प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित]

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट कर की रकम की, जिसका भागतः उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और भागतः उपयोग प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमशः 'टी₁' और 'टी₂' में सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को 'टी₄' में सम्मिलित किया जाएगा।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन अवधारित ¹⁰[उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट] की अंतिम रूप में संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा कर प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास में विवरणी देने के लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,—

(क) जहां 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में, अंतिम रूप से संगणित रकमों, 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे

आधिक्य को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में ¹¹[**प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित], जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास

⁷ अधिसूचना क्रमांक 03/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा खंड (ठ) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था—

“(ठ) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए रकम 'सी₃' की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी;”

⁹ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

¹⁰ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा “इनपुट कर प्रत्यय” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

¹¹ अधिसूचना क्रमांक 16/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा “के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

के अपश्चात् है, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल से आरंभ होने वाली संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा; और

(ख) जहां 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में, उपनियम (1) अधीन अवधारित संकलित रकमें, 'डी₁' और 'डी₂' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मास के लिए उसकी विवरणी में ऐसी आधिक्य रकम का दावा प्रत्यय के रूप में किया जाएगा।

¹²[(3) उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना की जाएगी, ऐसी प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बदलाव नहीं आया है 1 जुलाई, 2017 या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहले कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितंबर माह तक, उक्त उप-नियम के अनुरूप है की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि E/F के मूल्य की गणना निम्नलिखित E और F के मान से की जाएगी :

E = अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे पूरा होने के प्रमाण पत्र या पहले कब्जे के जारी होने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है प्रोजेक्ट, का, जो भी पहले हो;

F = प्रोजेक्ट से अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;
तथा,—

(क) जहां 'D₁' और 'D₂' के संबंध में अंत में गणना की गई राशियों का कुल योग 'D₁' और 'D₂' के संबंध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशियों के कुल योग से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उक्तमित किया जाना है, और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से भुगतान की तारीख तक; या

¹² अधिसूचना क्रमांक 16/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा उपनियम (3), (4), (5) और (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(ख) जहां 'D₁' और 'D₂' के संबंध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशि का कुल योग 'D₁' और 'D₂' के संबंध में अंतिम गणना से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रिटर्न में किया जायेगा।

(4) अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना आवासीय अचल संपत्ति के अलावा प्रत्येक प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक भाग के लिए की जाएगी, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों में परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, निम्नलिखित तरीके से की जाएगी,—(क)

प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर समान क्रेडिट की कुल राशि (C_{3aggregate_comm}) की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

(C_{3aggregate_comm}) = [उप-नियम (1) के तहत C₃ की राशियों की कुल राशि 1 जुलाई, 2017 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 तक के लिए x (A_C/A_T)] + [उप-नियम (1) के तहत निर्धारित C₃ की राशियों की कुल राशि जो कि 1 अप्रैल, 2019 से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने तक अथवा प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक, जो भी पहले हो]

जहां,—

A_C = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

A_T = प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ख) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर अंतिम पात्र आम क्रेडिट की राशि (C_{3final_comm}) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$$C_{3final_comm} = C_{3aggregate_comm} \times \frac{1}{4} E / F^{1/2}$$

जहां,—

E = वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो।

F = A_C = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ग) जहां C_{3aggregate_comm}, C_{3final_comm} से अधिक है, इस तरह की अधिकता वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर माह में, प्रारूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्रारूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उल्लिखित किया जाना है, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा हो। प्रोजेक्ट

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

का स्थान लेता है और उक्त व्यक्ति, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से लेकर भुगतान की तारीख के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

- (घ) जहां, C_{3final_comm} , $C_{3aggregate_comm}$ से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रिटर्न में किया जायेगा।
- (5) उप-नियम (1) के तहत निर्धारण इनपुट टैक्स की अंतिम गणना उन आरआईपी के पूरा होने या पहले कब्जे पर, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 के हुए कर में दरों में परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (6) जहां किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और उप-नियम (3) के अनुसार प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण किया जाएगा।]
-